राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

एफ 27 (30) ग्राविवि/ग्रुप–5/जीकेएन/तक.अनु.समिति/ 2015–16 जयपुर, दि. 15.03.2016

::बैठक कार्यवाही विवरण::

शासन सचिव महोदय, ग्रामीण विकास की अध्यक्षता में विभागीय तकनिकी अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 03.03.2016 को आयोजित की गई। जिसमें उपस्थिति अधिकारियों की सूची परिशिष्ठ–1 पर सलंग्न है।

बैठक में एजेण्डा वार प्रत्येक बिन्दु पर विस्तृत विचार–विमर्श कर निम्नानुसार निर्णय लिये गये है:–

बिन्दु संख्या– 1 पक्के निर्माण कार्यो के आईटमों के विश्लेषण में अर्द्धकुशल श्रमिक समाविष्ट करने पर चर्चा –

सार्वजनिक निर्माण विभाग की बी.एस.आर में निर्माण कार्यो के आईटमों के विश्लेषण में विभाग में प्रयुक्त अकुशल श्रमिक के स्थान पर बेलदार/कुली/भिश्ती/बंधानी/रॉक एक्सकेवेटर/स्प्रेयर/आपरेटर आदि वर्ग के अर्द्धकुशल/अकुशल श्रमिक वर्णित है, जिसकी वर्तमानं बी.एस.आर 2014 जयपुर सिटी सर्किल में प्रचलित दर 300/– रूपये प्रतिदिन है।
श्रम विभाग द्वारा अकुशल श्रमिक की दरें (महात्मा गांधी नरेगा को छोडकर) कार्यो हेतु घोषित की जाती है, जिनको ही विभाग द्वारा स्वतः ही उपयोग में लिया जाता है। वर्तमान में श्रम विभाग द्वारा अकुशल श्रमिक के लिए रू. 189/–, अर्द्धकुशल श्रमिक के लिए रू. 199/– एवं कुशल श्रमिक के लिए 209/– पुनरीक्षित की हुई है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा बीएसआर व टेन्डर पर कार्य कराने की प्रक्रिया प्रभावी है जिसमें बीएसआर पर कार्य कराने पर अकुशल श्रमिक का नियोजन श्रम विभाग द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी दर के बराबर दिया जा रहा है , जबकि कुशल श्रमिको (कारीगर) की दरों का निर्धारण जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय दर निर्णायक समिति द्वारा किया जाता है।

विभाग द्वारा सम्पादित पक्के निर्माण कार्यो में अर्द्धकुशल श्रमिकों के नियोजन न कर सिर्फ अकुशल श्रमिकों से ही कार्य सम्पादन से कार्यो की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पडा रहा है। उक्त तथ्यों के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्र में विभागीय कार्यो में अर्द्धकुशल श्रमिकों के नियोजन नहीं होने के कारण अर्द्धकुशल श्रमिकों का शहरी क्षेत्रों में पलायन हो रहा है। विभागीय ऑनलाईन बीएसआर में प्रचलित 195 में आईटमो में से 133 आईटम (पक्के निर्माण कार्य से सम्बंधित), जिनमें में अर्द्धकुशल श्रमिकों के सहयोग से निर्माण कराया जाना उचित होगा।

तकनिकी अनुमोदन समिति द्वारा उक्तानुसार तथ्यों पर विचार–विमर्श कर विभागीय आनलाईन बीएसआर में प्रचलित 195 में आईटमो में से पक्के निर्माण कार्यो से सम्बंधित 133 आईटमों में कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं अर्द्धकुशल श्रमिकों के शहरी क्षेत्रों में पलायन रोकने बाबत् अर्द्धकुशल श्रमिको की श्रेणी को निम्नानुसार विभागीय बीएसआर में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया।

(अ) अर्द्धकुशल श्रमिको की श्रेणी की दरों की अधिकतम सीमा सार्वजनिक निर्माण विभाग की वर्तमानं बी.एस.आर 2014 की प्रचलित दर 300/– रूपये प्रतिदिन के

आधार पर रखी जावे तथा उक्तानुसार अधिकतम दर सीमा तक अर्द्धकुशल श्रमिको की श्रेणी की स्थानीय पंचायत समितिवार दरों का निर्धारण भी कुशल श्रमिकों की दर निर्धारण प्रकिया अनुसार ही जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला दर निर्धारण समिति द्वारा किया जावे।

(ब) अकुशल श्रमिकों को प्रचलित न्यूनतम देय मजदूरी दर एवं कार्य की मात्रा (टास्क) के आधार पर अर्द्धकुशल श्रमिकों को देय मजदूरी के समानुपात में सम्पादित करवाये जाने वाले कार्य की **"मात्रा (टास्क)"** को भी सार्वजनिक निर्माण विभाग की प्रचलित दर रू. 300/– के आधार पर **मात्रा (टास्क)** बढाये जाने का निर्णय लिया गया, जिससे विभाग द्वारा सम्पादित निर्माण कार्यो की लागत भी नहीं बढेगी एवं गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार हो सकेगा।

बिन्दु संख्या– 2 निर्माण कार्यो में आवश्यकता होने पर मशानरी यथा जेसीबी/ब्लास्टिंग आदि के कार्य सम्पादन पर चर्चा –

उक्त सम्बन्ध में समिति द्वारा विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 11.1.2016 अनुसार अन्य विभागों की प्रचलित बीएसआर में वर्णित दर में ठेकेदार का लाभ 10 प्रतिशत कम कर उपयोग में लेने के निर्देशों के क्रम में श्री बी.एस. पंवार, संयुक्त निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग के सुझाव बाबत् विचार–विमर्श कर निर्माण कार्यो में योजना की मार्गदर्शिका में अनुमत होने पर मशीनरी के उपयोग की इजाजत दिये जाने का निर्णय लिया गया। अधिकांश आवश्यक मशीनरी की दरें बीएसआर में ही सम्मिलित है, के अतिरिक्त अनुमत कार्य में निम्न मशीनरी की दर निम्नानुसार 2 भागों में विभक्त करने का निर्णय लिया गया :–

(अ) JCB without loader

(ब) JCB with loader

बिन्दु संख्या– 3 बीएसआर दर पर कार्य अनुमत करने की दशा में बीएसआर दरों के निर्धारण की प्रकिया पर चर्चा –

उक्त सम्बन्ध में समिति द्वारा बीएसआर दरों को ग्राम पंचायत/ पंचायत समितिवार तुलना कर न्यूनतम दर प्रभावी करने के प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। तकनिकी अनुमोदन समिति के सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायत/ पंचायत समितिवार सामग्री की दरों में अंतर होता है। वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी, 2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को बीएसआर दरों पर सामग्री क्रय करने हेतु अधिकृत किया है। अतः समिति द्वारा इस क्रम में दर प्रस्तावक/निर्धारण समिति सावधानीपूर्वक बाजार दरों का विश्लेषण कर सुसंगत दरों की समीक्षा करने के उपरान्त ही जिला स्तरीय दर निर्णायक समिति को पंचायत समिति स्तरीय दर सर्वेक्षण एवं प्रस्तावक समिति द्वारा प्रस्तावित दरों पर समुचित समीक्षा/ विश्लेषण कर सुसंगत/ उचित दरों का निर्धारण करने के लिए अधिकृत किया जावे।

बिन्दु संख्या– 4 एकसमान दर वाले आईटमों की दर राज्य स्तर पर निर्धारण करने पर चर्चा –

सम्पूर्ण राज्य में लगभग समान दर प्रचलित होने वाली सामग्री यथा– स्टील, सीमेन्ट, जीआई चद्दर, पीवीसी पाईप, इलेक्ट्रिक वायर आदि सम्पूर्ण राज्य में लगभग एक समान दर पर उपलब्ध होती है। उक्त सम्बन्ध में समिति द्वारा चर्चा कर उक्त प्रयुक्त किये जाने सामग्री के लिए बीएसआर सॉफ्टवेयर में राज्य स्तर से निर्धारित करने का निर्णय लिया गया। राज्य स्तर पर इन दरों के निर्धारण हेतु संभाग स्तरीय अधिशाषी